भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

अनुबन्ध पत्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DS 119767

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा कार्यालय हेतु अनुबन्धित वाहन

प्रथम पक्ष —: अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।

द्वितीय पक्ष —: मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पोइन्ट।

सेवा प्रदाता —: वर्तमान पता–59–61, श्री नगर ट्रांस जमुना, आगरा।

अनुबन्धित वाहन सं0 —: यू0पी0 85 ए0टी0 1360 (इण्डिका)

यह अनुबन्ध अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा (प्रथम पक्ष) द्वारा एन0एच0एम0, अपर निदेशक कार्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा हेतु वाहन के संचालन में श्री मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पोइन्ट, वर्तमान पता–59–61, श्री नगर ट्रांस जमुना, आगरा (द्वितीय पक्ष) से आज दिनांक 02.8.17 से 31.3.18 तक सम्पादित किया गया जिसे वाहन को सफलतापूर्वक संचालन एवं वाहन की स्थिति के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 से प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

द्वितीय पक्षकार अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा के कार्यालय हेतु वाहन के संचालन करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1. द्वितीय पक्ष को माह में अधिकतम 2000 कि0मी0 तक वाहन संचालन हेतु समस्त व्यय यथा ईंधन, चालक, रख–रखाव टूट–फूट एवं मरम्मत इत्यादि सम्मलित कर मासिक किराया रू0 29,250/ (रू0 उन्तीस हजार दो सौ पचास) अगले माह की 10 तारीख तक पीएफएमएस के माध्यम से देय होगा।
2. द्वितीय पक्ष को भुगतान से पूर्व समस्त वैधानिक देयों/करों की कटौती कर ली जायेगी।
3. द्वितीय पक्ष को भुगतान से पूर्व यदि कोई पेनाल्टी पेय की गई है तो उसकी भी कटौती कर ली जायेगी।
4. वाहन को 24 घण्टे चालु हालत में रखने एवं साफ सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतुवाहन को वर्कशॉप भेजन की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

ATTESTED
P. K. Singh, Advocate
GAZETTED OFFICER
AGRA

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पोइन्ट
Ram Kumar Bansal

5. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का पूर्व/वैध बीमा, पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि समस्त वैधानिक कागज मूल प्रति के रूप में वाहन के साथ उपलब्ध रहें।
7. वाहन के किसी भी जान–माल के नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का ही होगा, अपर निदेशक आगरा मण्डल, आगरा पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नसे की हालत में वाहन का संचालन न करें, ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष (अपर निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा) को होगा।
11. वाहन की छाटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को ही करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे में सुधार करने या वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा, विशेष परिस्थितियों में अनुबन्धित वाहन के स्थान पर स्थाई–रूप से कोई अन्य वाहन उपलब्ध कराया जाता है तो उक्त वाहन के सम्बन्ध में निविदा के समय वर्णित समस्त शर्तें लागू होगी।
13. वाहन का अनुबन्ध 31.03.2018 तक होगा जोकि वाहन के इस अवधि में सफलतापूर्वक संचालन के उपरान्त अग्रिम वित्तीय वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
14. द्वितीय वक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में अपर निदेशक आगरा मण्डल, आगरा द्वारा द्वितीय पक्ष को 15 दिन पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकर है।
15. अनुबंध के समबन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल, जनपद आगरा के न्यायालय में होगा तथा उसका निर्णय दोंनो को मान्य होगा।

स्थान–आगरा
दिनांक 2-8-2017

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
आगरा मण्डल, आगरा।

फर्म रामकुमार बंसल ट्रेवल पॉइन्ट
Ram Kumar Bansal
हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
प्रोपराइटर
मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पोइन्ट
पता–59–61, श्री नगर ट्रांस जमुना
आगरा।

गवाहः–
1. एन एस० सक्सेना. व०सहायक - Pmeedy
2. सोपालसिंह
गोविन्दपुर खन्दौली आगरा

ATTESTED
P. K. Singh Advocate
GAZETTED OFFICER
NOTARY, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DS 119767

अनुबन्ध पत्र

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा कार्यालय हेतु अनुबन्धित वाहन

प्रथम पक्ष —: अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।

द्वितीय पक्ष —: मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पोइन्ट।

सेवा प्रदाता —: वर्तमान पता–59–61, श्री नगर ट्रांस जमुना, आगरा।

अनुबन्धित वाहन सं0 —: यू0पी0 85 ए0टी0 1360 (इण्डिका)

यह अनुबन्ध अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा (प्रथम पक्ष) द्वारा एन0एच0एम0, अपर निदेशक कार्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा हेतु वाहन के संचालन में श्री मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पोइन्ट, वर्तमान पता–59–61, श्री नगर ट्रांस जमुना, आगरा (द्वितीय पक्ष) से आज दिनांक 02.8.17 से 31.3.18 तक सम्पादित किया गया जिसे वाहन को सफलतापूर्वक संचालन एवं वाहन की स्थिति के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 से प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

द्वितीय पक्षकार अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा के कार्यालय हेतु वाहन के संचालन करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1. द्वितीय पक्ष को माह में अधिकतम 2000 कि0मी0 तक वाहन संचालन हेतु समस्त व्यय यथा- ईंधन, चालक, रख–रखाव टूट–फूट एवं मरम्मत इत्यादि सम्मलित कर मासिक किराया रू0 29,250/–(रू0 उन्तीस हजार दो सौ पचास) अगले माह की 10 तारीख तक पीएफएमएस के माध्यम से देय होगा।
2. द्वितीय पक्ष को भुगतान से पूर्व समस्त वैधानिक देयों/करों की कटौती कर ली जायेगी।
3. द्वितीय पक्ष को भुगतान से पूर्व यदि कोई पेनाल्टी पेय की गई है तो उसकी भी कटौती कर ली जायेगी।
4. वाहन को 24 घण्टे चालु हालत में रखने एवं साफ सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतुवाहन को वर्कशॉप भेजन की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

CERTIFIED
P. K. Singh, Advocate
GAZETTED OFFICER
AGRA

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
आगरा मण्डल आगरा

मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पोंइ
Ram Kumar Bansal
प्रोपराइ

Scanned by CamScanner

5. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का पूर्व/वैध बीमा, पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि समस्त वैधानिक कागज मूल प्रति के रूप में वाहन के साथ उपलब्ध रहें।
7. वाहन के किसी भी जान–माल के नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष का ही होगा, अपर निदेशक आगरा मण्डल, आगरा पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नसे की हालत में वाहन का संचालन न करे, ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष (अपर निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा) को होगा।
11. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को ही करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे में सुधार करने या वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा, विशेष परिस्थितियों में अनुबन्धित वाहन के स्थान पर स्थाई- रूप से कोई अन्य वाहन उपलब्ध कराया जाता है तो उक्त वाहन के सम्बन्ध में निविदा के समय वर्णित समस्त शर्तें लागू होगी।
13. वाहन का अनुबन्ध 31.03.2018 तक होगा जोकि वाहन के इस अवधि में सफलतापूर्वक संचालन के उपरान्त अग्रिम वित्तीय वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
14. द्वितीय वक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में अपर निदेशक आगरा मण्डल, आगरा द्वारा द्वितीय पक्ष को 15 दिन पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकर है।
15. अनुबंध के समबन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल, जनपद आगरा के न्यायालय में होगा तथा उसका निर्णय दोनों को मान्य होगा।

स्थान–आगरा
दिनांक 2-8-2017

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
आगरा मण्डल, आगरा।

मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पॉइन्ट
Ram Kumar Bansal
हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
प्रोपराइटर
मैसर्स रामकुमार बंसल ट्रेवल पोइन्ट
पता–59–61, श्री नगर ट्रांस जमुना
आगरा।

गवाहः–
1. एन एस० मदनी. बंसल - Madny
2. सोपालसिंह
गोविन्दपुर खन्दौली आगरा

ATTESTED
P. K. Singh Advocate
GAZETTED OFFICER
NOTARY, AGRA

Scanned by CamScanner

# Detail of Vehicles under Supportive Supervision (FY 2017-18)
# District : Agra

## Supportive Supervision Vehicle Hiring – Block wise Information 2017-18

| S. No. | Name of the Division | Name of the district | Block Name | Vehicle No. | Date of Hiring | Agreement copy Attached |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agra | Agra | Jagner | UP 80 DT 2765 (Tata Zest) | 30.08.2017 | Yes |
| 2 | | | Bah | UP 80 DT 2766 (Tata Zest) | 30.08.2017 | Yes |
| 3 | | | Fatehabad | UP 80 CT 9387 (Toyota Itios) | 30.08.2017 | Yes |

## Supportive Supervision Vehicle Hiring – District Level Information 2017-18

| S. No. | Name of the District | Name of the Agreement Signing Officer | Vehicle No. -1 | Date of Hiring | Vehicle No. -2 | Date of Hiring | Agreement copy Attached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agra | Chief Medical Officer Agra | UP 85 AT 2865 (Tata Indigo) | 30.08.2017 | UP 80 CT 7954 (Tata Indigo) | 30.08.2017 | Yes |

## Supportive Supervision Vehicle Hiring – Division Level Information 2017-18

| S. No. | Name of the Division | Name of the Agreement Signing Officer | Vehicle No. -1 | Date of Hiring | Vehicle No. -1 | Date of Hiring | Agreement copy Attached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agra | Additional Director MH & FW , Agra Div. | UP 85 AT 1360 (Tata Indica) | 02.08.2017 | UP 80 CT 1840 (Tata Indigo) | 21.09.2017 | Yes |

District Program Manager
NHM-Agra

Additional Chief Medical officer
NHM-Agra

Chief Medical Officer
Agra

19-12-17

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

DS 119766

अनुबंध पत्र

प्रथम पक्ष :–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा सदस्य/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद आगरा।

द्वितीय पक्ष – मै0 बी0वी0 ब्रदर्स, 80 एमआईजी आवास विकास कालोनी सैक्टर 16 सिकन्दरा आगरा।

1. यह अनुबन्ध आज दिनांक 30-09-17 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति आगरा एवं मै0 बी0वी0 ब्रदर्स, 80 एमआईजी आवास विकास कालोनी सैक्टर 16 सिकन्दरा आगरा के मध्य निम्नलिखित शर्तों के साथ उभय पक्षों द्वारा पूर्ण अध्ययन के पश्चात् हस्ताक्षरित हुआ। द्वितीय पक्ष ने इस अनुबन्ध हेतु जमानत धनराशि के रूप में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बल्केश्वर शाखा की एफ.डी.आर. संख्या MTL/A900020 धनराशि 100000/–(एक लाख मात्र) दिनॉक 01.07.2017 तथा एफ.डी.आर. संख्या EIH/C 926185 धनराशि 150000/–(एक लाख पचास हजार मात्र) दिनांक 16.06.2017 इस प्रकार कुल जमानत धनराशि रू0–250000/–(दो लाख पचास हजार रू0 मात्र) द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति आगरा के पक्ष में बन्धक करायी जा रही है। द्वितीयपक्ष द्वारा इस अनुबन्ध की शर्तों को पूरा न करने पर या उल्लंघन करने पर ठेका रद्द होने की स्थिति में यह जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम में जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई पर टैक्सी परमिट वाहन (बोलेरो/स्कोरपियो/ /इण्डिगो/डिजायर/इनोवा या समकक्ष/ उच्च श्रेणी वाहन) उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसके लिये इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 या आगामी व्यवस्था होने तक होगी।
3. अनुबन्धित किये गये वाहन के साथ निम्न प्रकार के प्रपत्र होना आवश्यक है।
   क– वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो।
   ख– वाहन आर0टी0ओ0 कार्यालय के यहां टैक्सी परमिट के रूप में रजिस्टर्ड हो।
   ग– वाहन का नया कम्प्रीहेन्सिव इन्श्योरेंस अद्यतन हो।
   घ– द्वितीयपक्ष द्वारा जो भी वाहन, संचालन हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे उन सभी वाहनों के वाहन संचालन से सम्बन्धित समस्त वैध दस्तावेज जैसे कि वाहन के सभी तकनीकी अभिलेख, फिटनेस, व्यवसायिक पंजीकरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, टैक्स इत्यादि पूर्ण होने चाहिए।

Scanned by CamScanner

ङ– द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के साथ वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोबाइल न0 होना चाहिये।

ज– द्वितीय पक्ष द्वारा संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन बोलेरो/स्कोरपियो/ /इण्डिगो/डिजायर/इनोवा या समकक्ष/ उच्च श्रेणी वाहन होने चाहिये।

4. वाहन को चालू रखने हेतु समय–समय पर इसकी साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु भेजे जाने पर समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा इस दौरान अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध न कराये जाने की दशा में रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन का किराया भुगतान निविदा में स्वीकृत दर रू0 24950/– (रू0–चौबीस हजार नौ सौ पचास मात्र) प्रतिमाह प्रतिवाहन (समस्त करो एवं व्ययों सहित) मय पी.ओ.एल एवं चालक व्यय सहित, 07 वाहन सम्बन्धित कार्यालय/स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसके भुगतान हेतु बिल सम्बन्धित कार्यालय/स्वास्थ्य इकाई पर माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा।

6. वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन भरना अनिवार्य होगा। जिसको समय–समय पर नियन्त्रण अधिकारी से जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा। भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करते समय उक्त लॉग बुक द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रमाणित कर बिल के साथ संलग्न की जायेगी।

7. द्वितीय पक्षकार को सम्बन्धित कार्यालय/स्वास्थ्य इकाई पर शासकीय नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा तथा आवश्यकतानुसार वाहन को इसके अतिरिक्त बुलाया या रोका जा सकता है इस हेतु प्रथक से कोई अन्य धनराशि देय नही होगी। द्वितीय पक्षकार द्वारा भुगतान हेतु बिल निर्धारित प्रपत्र पर आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान बजट की उपलब्धता होने पर किया जायेगा।

8. प्रथम पक्षकार द्वारा अवकाश दिवस पर भी वाहन मगांया जा सकता है इस हेतु प्रथक से कोई धनराशि द्वितीय पक्षकार को देय नही होगी।

9. अनुबन्ध की शर्तो के स्पष्टीकरण के विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

10. विवादित मामलों में न्याय क्षेत्र आगरा तक सीमित रहेगा।

11. समय– समय पर शासन द्वारा अनुबन्ध स्टाम्प ड्यूटी/पेपर की दरें परिवर्तित होने की स्थिति में अन्तर की धनराशि के लिये निविदादाता भुगतान हेतु बाध्य होंगे।

12. प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किए जाने वाले भुगतान से आयकर एवं अन्य वैधानिक देयताओं की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

स्थान – आगरा

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा

साक्षी
हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

ATTESTED
Advocate
DISTT. NOTARY
AGRA (U.P.)

द्वितीय पक्ष उर्मिला देवी
उर्मिला देवी

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता

साक्षी
हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

Scanned by CamScanner